सिविल जज(व.प्र.)/एफ.टी.सी., हाथरस

उपस्थित– प्रतिभा....... उ. प्र. न्यायिक सेवा

मूलवाद संख्या 139/2002

UPHT050048152019

1. (मृतक)श्री सुनहरीलाल पुत्र श्री रोशनलाल

1/1. राजपाल पुत्र सुनहरीलाल

1/2. लाला राजपतराय पुत्र सुनहरीलाल

1/3. प्रणव किशोर पुत्र सुनहरीलाल

1/4. (मृतक) श्रीमती माया देवी मृतक पत्नी सुनहरीलाल

निवासीगण वावस मौजा वसई तहसील सि.राऊ जिला महामायानगर

1/5. भूमेश कुमारी पुत्री सुनहरीलाल पत्नी श्री वीरेन्द्र सिंह निवासी सलेमपुर तहसील सि.राऊ जिला महामायानगर

वादीगण

बनाम

1.श्री राधेश्याम (मृतक) पुत्र श्री भोलू सिंह

1/1. श्रीमती वैकुण्ठी देवी पत्नी राधेश्याम

1/2. गोवर्धन पुत्र राधेश्याम

1/3. चरन सिंह पुत्र राधेश्याम

1/4. रहीसपाल पुत्र राधेश्याम

1/5. गीतम सिंह पुत्र राधेश्याम

2. श्री कुँवरपाल (मृतक) पुत्र श्री किशनलाल

2/1. श्रीमती सूरजवती पत्नी कुँवरपाल

2/2. जयप्रकाश पुत्र कुँवरपाल

2/3. चन्द्रपाल पुत्र कुँवरपाल

2/4. गौरी पुत्र कुँवरपाल

2/5. कु. नीरज पुत्री कुँवरपाल

3. श्री भूपसिंह पुत्र श्री राधेश्याम

निवासीगण ग्राम वावस मौजा वसई वावस तहसील सि.राऊ जिला हाथरस।

प्रतिवादीगण

निर्णय

प्रस्तुत वाद वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु योजित किया है।

सिविल जज(व.प्र.)/एफ.टी.सी., हाथरस
उपस्थित– प्रतिभा....... उ. प्र. न्यायिक सेवा
मूलवाद संख्या 139/2002

संक्षेप में वादपत्र कागज संख्या 4 क 1 के कथन इस प्रकार हैं कि वादी मृतक सुनहरीलाल एक प्लाट जिसका विवरण वादपत्र के अंत में दिया गया है के गाटा संख्या 1341 मि. रकवा 0.008 हे. व गाटा संख्या 1342 मि. रकवा 0.005 हे. व गाटा संख्या 1343 मि. रकवा 0.012 हे. व गाटा संख्या 1344 मि. रकवा 0.005 हे. यानी कुल चार किता क्षेत्रफल 0.030 हे. के 1/3 भाग के मालिक, काबिज व दखील श्री बूंदी सिंह पुत्र श्री होतीलाल निवासी वाबस माजरा वसई बाबत तहसील सि.राऊ जिला हाथरस थे जो पारिवारिक बंटवारे के आधार पर मालिक, काबिज व दखील हुये जिनसे वादी ने बजरिये बैनामा दिनांक 29.8.2000 को इनका हिस्सा 0.010 हे. खरीदा था तथा गाटा संख्या 1341 मि. रकवा 0.008 हे. व गाटा संख्या 1342 मि. रकवा 0.005 हे. व गाटा संख्या 1343 मि. रकवा 0.012 हे. व गाटा संख्या 1344 मि. रकवा 0.005 हे. यानी कुल रकवा 0.030 हे. का 1/3 भाग के मालिक व दखील श्री कुवरपाल निवासी गाँव बाबत माजरा बसई बाबस तहसील सि.राऊ जिला हाथरस जो पारिवारिक बंटवारे के आधार पर मालिक, काबिज व दखील हुये जिनसे वादी ने बजरिये बैनामा दिनांक 12.02.2002 को खरीदा इस प्रकार तारीख बैनामा से वादी कुल रकवा 0.020 हे. पर मालिक, काबिज व दखील हुआ जिसे वादपत्र के साथ नजरी नक्शा में अक्षर अ,ब,स,द से प्रदर्शित है जिसे लाल रंग से दिखाया गया है जो प्लाट वादी में बाउन्ड्री बाल बनी हुई है जो वादी की भूमि है। उक्त प्लाट एक आबादी प्लाट है जिसमें वादी के बुर्जी बिटोरा व पशु बंधते हैं तथा जिसे वादी तारीख बैनामा से अपने उपयोग में लेते चले आ रहे हैं। प्रतिवादीगण का वादी द्वारा खरीदे गये प्लाट से किसी भी प्रकार का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। यहां यह भी बता देना आवश्यक है कि वादी का मकान दादलायी जो गाटा संख्या 1341 मि. रकवा 0.015 हे. व गाटा संख्या 1342 मि. रकवा 0.007 हे. व गाटा संख्या 1343 मि. रकवा 0.25 हे. व गाटा संख्या 1344 मि. रकवा 0.007 हे. यानी कुल चार किता रकवा 0.054 हे. में 1/4 भाग का जो नक्शा वादपत्र के साथ अक्षर व,क,ख,ग से प्रदर्शित किया है में वादी का मकान बना हुआ है जिसका वादी पारिवारिक बंटवारे के आधार पर मालिक,काबिज व दखील है। प्रतिवादीगण गाटा संख्या 1341 मि. रकवा 0.008 हे. व गाटा संख्या 1342 मि. रकवा 0.005 हे. व गाटा संख्या 1343 मि. रकवा 0.012 हे. व गाटा संख्या 1344 मि. रकवा 0.004 हे. है यानी कुल चार किता रकवा 0.029 हे. पर मकान प्रतिवादीगण के हिस्से में आया जिसे नक्शा नजरी वादपत्र में अक्षर स,क,व,ल,र, न,ब प्रदर्शित किया गया है। प्रतिवादीगण अनाधिकार रूप से वादीगण के मूरिस सुनहरीलाल की खरीदी गयी भूमि प्लाट जिसमें बाउन्ड्री लगी है जो नक्शा वादपत्र में लाल रंग से प्रदर्शित किया गया है में हस्तक्षेप करना चाहते हैं जिसका प्रतिवादीगण को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। वाका दिनांक 12.04.2002 का था प्रतिवादीगण एकराय होकर वादीगण के मूरिस सुनहरीलाल जो नक्शा वादपत्र लाल रंग से प्रदर्शित किया गया है जिसमें वादी की बाउन्ड्री लगी है पर आये तथा अवैध कब्जा प्लाट वादी पर बदमाश के बल कब्जा करने की कोशिश की जिसका विरोध वादी ने किया जिसके संबंध में वादीगण ने मूरिस सुनहरीलाल ने श्रीमान उपजिला मजिस्ट्रेट महोदय सि.राऊ को दिनांक 12.04.2004 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर श्रीमान उप जिला मजिस्ट्रेट सि.राऊ हाथरस ने थाना अध्यक्ष थाना विजयगढ को आदेश किया कि अवैध कब्जा न हो जिस पर ताना अध्यक्ष के हस्तक्षेप से बमुश्किल प्रतिवादीगण माने जिस पर थाना अध्यक्ष के हस्तक्षेप से बमुश्किल प्रतिवादीगण माने जिस प्रार्थनापत्र की फोटो प्रति शपथपत्र के साथ अनेक्चर अ प्रस्तुत की जाती है तथा अनेक्चर ब

व स बैनामा दिनांकित 29.8.2000 व 12.2.2002 की फोटो स्टेट प्रति प्रस्तुत की जाती है। दिनांक 14.5.2002 को पुनः एक राय होकर प्लाट वादी पर प्रतिवादीगण आये तथा अबैध कब्जा करने की कोशिश की जिसका विरोध वादी ने किया तथा गांव के चन्द भले व्यक्तियों के बीच में पडने पर बमुश्किल प्रतिवादीगण माने लेकिन जाते समय प्रतिवादीगण वादी को धमकी देकर गये कि हम जल्द ही प्लाट पर कब्जा करके रहेंगे। डिग्री स्थायी निषेधाज्ञा व हक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण इस अमर की पारित की जावे कि प्रतिवादीगण वादी के प्लाट जिसका विवरण वादपत्र के अंत में दिया गया है तथा जिसे नजरी नक्शा वादपत्र में अक्षर अ,ब,स,द से प्रदर्शित है तथा अक्षर क,प,त,थ जो लाल रंग से दिखाया गया है में वादीगण की शान्तिपूर्ण कब्जा व दखल में किसी प्रकार से स्वंय या अपने किसी एजेन्ट के माध्यम से सदैव को हस्तक्षेप करने से बाध्य रहे।

प्रतिवादी की ओर से प्रतिवाद पत्र कागज संख्या 18क 1 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि वादपत्र की धारा 1 लगायत 14 मय प्रतिकार अस्वीकार करते हुये कथन किया है कि वादी को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होता है और ना ही यह कोई प्रतिकार पाने का अधिकारी है। प्रतिवादी ने वादी की भूमि पर कोई कब्जा नहीं किया है और ना ही करने की कौशिश की है। गाटा संख्या 1341 मि. रकवा 0.008 हे. व गाटा संख्या 1342 मि. रकवा 0.005 हे. व गाटा संख्या 1343 मि. रकवा 0.012 हे. व गाटा संख्या 1344 मि. रकवा 0.005 हे. यानी कुल चार किता क्षेत्रफल 0.030 हे. के 1/3 भाग के मालिक श्री बूंदी सिंह है यह कतई असत्य है। वादी द्वारा यह कहना भी गलत है कि वादी ने उक्त भूमि बूंदी सिंह ने बैनामा दिनांक 29.8.2000 के द्वारा खरीदा है। वादी द्वारा यह कहना कतई गलत है कि कुवरपाल पुत्र कुन्दन सिंह खसरा संख्या 1341, 1342 व 1343 के मालिक और कब्जा था। वादी द्वारा यह कहना भी गलत है कि उक्त प्लाट कुंदन सिंह के पुत्र कुवरपालसे दिनांक 12.02.2022 को खरीदा है। बूंदी सिंह को खसरा संख्या 1341 व 1342 से किसी भी हिस्से को वादी या किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि बूंदी सिंह के पास खसरा संख्या 1341 व 1342 में कोई अधिकार या हित नहीं है। वादी का यह कहना भी गलत है कि उक्त प्लाट एक आबादी प्लाट है जिसमें वादी के बुर्जी बिटोरा व पशु बंधते हैं। वादी का यह कहना भी गलत है कि वादी का दादलायी प्लाट है। खसरा संख्या 1341, 1342, 1343 और 1344 को इसके सह–भूमिधरों/मालिकों के बीच इतने वर्षों पूर्व परस्पर विभाजित किया गया था जिसमें से खसरा संख्या 1341 और 1342 प्रतिवादी संख्या के अन्यन्य हिस्से में आये थे। उपरोक्त तथ्यों और कारणों से स्पष्ट है कि वाद वादी किसी भी दृष्टिकोण से स्थिर रहने योग्य नहीं।

प्रतिवादी संख्या 1/1 की ओर से प्रतिवाद पत्र कागज संख्या 100क 1 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि वादपत्र की धारा 1 लगायत 14 मय प्रतिकार अस्वीकार करते हुये कथन किया है कि वादी को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होता है और ना ही यह कोई प्रतिकार पाने का अधिकारी है। प्रतिवादी ने वादी की भूमि पर कोई कब्जा नहीं किया है और ना ही करने की कौशिश की है। गाटा संख्या 1341 मि. रकवा 0.008 हे. व गाटा संख्या 1342 मि. रकवा 0.005 हे. व गाटा संख्या 1343 मि. रकवा 0.012 हे. व गाटा संख्या 1344 मि. रकवा 0.005 हे. यानी कुल चार किता क्षेत्रफल 0.030 हे. के 1/3 भाग के मालिक श्री बूंदी सिंह है यह कतई असत्य है। वादी द्वारा यह कहना भी गलत है कि वादी ने उक्त भूमि बूंदी सिंह ने बैनामा दिनांक 29.8.2000 के द्वारा खरीदा है।

वादी द्वारा यह कहना कतई गलत है कि कुवरपाल पुत्र कुन्दन सिंह खसरा संख्या 1341, 1342 व 1343 के मालिक और कब्जा था। वादी द्वारा यह कहना भी गलत है कि उक्त प्लाट कुंदन सिंह के पुत्र कुवरपालसे दिनांक 12.02.2022 को खरीदा है। बूंदी सिंह को खसरा संख्या 1341 व 1342 से किसी भी हिस्से को वादी या किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि बूंदी सिंह के पास खसरा संख्या 1341 व 1342 में कोई अधिकार या हित नहीं है। वादी का यह कहना भी गलत है कि उक्त प्लाट एक आबादी प्लाट है जिसमें वादी के बुर्जी बिटोरा व पशु बंधते हैं। वादी का यह कहना भी गलत है कि वादी का दादलायी प्लाट है। खसरा संख्या 1341, 1342, 1343 और 1344 को इसके सह–भूमिधरों/मालिकों के बीच इतने वर्षो पूर्व परस्पर विभाजित किया गया था जिसमें से खसरा संख्या 1341 और 1342 प्रतिवादी संख्या के अन्यन्य हिस्से में आये थे। उपरोक्त तथ्यों और कारणों से स्पष्ट है कि वाद वादी किसी भी दृष्टिकोण से स्थिर रहने योग्य नहीं।

उभयपक्ष के अभिकथनों के आधार पर दिनांक 10.12.2004 को निम्न वाद बिन्दु विरचित किये गये–

1. क्या वादी वादपत्र के साथ संलग्न मानचित्र में अक्षर अ,ब,स,द से दर्शित भाग का स्वामी, काबिज व दखील है?

प्रस्तुत वाद में विवादित संपत्ति वादपत्र के साथ संलग्न मानचित्र में अक्षर अ,ब,स,द तथा क,प,त,थ से प्रदर्शित की गयी है। अतः प्रस्तुत वाद के अंतिम व प्रभावी निस्तारण हेतु वाद बिन्दु संख्या 1 को निम्न रूप से संशोधित किया जाता है–

1. क्या वादी वादपत्र के साथ संलग्न मानचित्र में अक्षर अ,ब,स,द तथा क,प,त,थ से दर्शित भाग का स्वामी, काबिज व दखील है?
2. क्या वाद धारा 331 उ.प्र. जमींदारी उन्मूलन अधिनियम से बाधित है?
3. क्या उपरोक्त वाद में मौन सहमति के सिद्धान्त से बाधित है?
4. क्या वाद आदेश 9 नियम 9 सी.पी.सी. से बाधित है?
5. क्या वाद धारा 34, 38 व 41 विशिष्ट अनुतोष अधिनियम से बाधित है?
6. अन्य अनुतोष?

वादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में फेहरिस्त कागज सं0 8 ग 1 से एक किता खतौनी कागज संख्या 9 ग 1, एक किता खतौनी कागज संख्या 10 ग, एक खसरा कागज संख्या 11 ग फेहरिस्त कागज संख्या 36 ग 1 से असल बैनामा कागज संख्या 37 क 1/1 ता 37 क 1/6, एक असल बैनामा कागज संख्या 38 क 1/1 ता 38 क 1/5 पत्रावली पर दाखिल किया है।

प्रतिवादी की ओर से कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

वादी की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में राजपाल व उमेश कुमार का साक्ष्य शपथपत्र क्रमशः कागज संख्या 60 क 2, 107 क से पत्रावली पर दाखिल किया गया है। वादी द्वारा बतौर पी0 डब्लू01 राजपाल व पी.डब्लू.02 उमेश कुमार को परीक्षित किया गया है।

प्रतिवादी की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में चन्द्रप्रकाश व संजय कुमार का साक्ष्य शपथपत्र क्रमशः कागज संख्या 103 क 1, 104 क से पत्रावली पर दाखिल किया गया है। प्रतिवादी द्वारा बतौर डी0 डब्लू01 चन्द्रप्रकाश व डी.डब्लू. संजय कुमार को परीक्षित किया गया है।

मैंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्कों का सम्यक विश्लेषण पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर करने पर निम्नांकित निष्कर्ष निकाले जाते हैं।

<u>**निष्कर्ष**</u>

प्रश्नगत वाद का निर्णयन वाद बिन्दुओं के निर्णयन के आधार निम्नानुसार किया जाता है।

निस्तारण वाद बिन्दु सं0 1

वाद बिन्दु संख्या 1 इस आशय से विरचित किया गया है कि क्या वादी वादपत्र के साथ संलग्न मानचित्र में अक्षर अ,ब,स,द तथा क,प,त,थ से दर्शित भाग का स्वामी, काबिज व दखील है?

वादी द्वारा दाखिल खतौनी फसली 1406 से 1411 ई कागज संख्या 9 ग व खसरा फसली वर्ष 1408 ई कागज संख्या 10 ग के अवलोकन से विदित होता है कि गाटा संख्या 1341 मि. रकवा 0.008 हे. व गाटा संख्या 1342 मि. रकवा 0.005 हे. व गाटा संख्या 1343 मि. रकवा 0.012 हे. व गाटा संख्या 1344 मि. रकवा 0.005 हे. यानी कुल रकवा 0.030 हे. के विरुद्ध कुवरपाल पुत्र कुन्दन, बूंदी सिंह पुत्र होती, दयाराम, हरीसिंह, बाबूलाल, अमरपाल व रुपकिशोर पुत्रगण चोखेलाल के नाम श्रेणी 1(क) के संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है। उक्त कागज संख्या 9 ग व 10 ग के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि खसरा संख्या 1341 मि. रकवा 0.015 हे. व गाटा संख्या 1342 मि. रकवा 0.007 हे. व गाटा संख्या 1343 मि. रकवा 0.25 हे. व गाटा संख्या 1344 मि. रकवा 0.007 हे. यानी कुल चार किता रकवा 0.054 हे. के विरूद्ध सुनहरीलाल, वीरपाल सिंह पुत्रगण रोशनलाल व केसरी पुत्र नरायन के नाम श्रेणी 1(क) के संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है।

मूल बैनामा दिनांकित 29.8.2000 कागज संखया 38 क के अवलोकन से यह विदित होता है कि विक्रेता बूंदी सिंह पुत्र श्री होती द्वारा स्वंय को गाटा संख्या 1341 मि. रकवा 0.008 हे. व गाटा संख्या 1342 मि. रकवा 0.005 हे. व गाटा संख्या 1343 मि. रकवा 0.012 हे. व गाटा संख्या 1344 मि. रकवा 0.005 हे. यानी कुल चार किता क्षेत्रफल 0.030 हे. के 1/3 भाग का मालिक व काबिज कथित किया है। बैनामा दिनांकित 29.8.2000 में भूमि 1341 मि. रकवा 0.008 हे. व गाटा संख्या 1342 मि. रकवा 0.005 हे. व गाटा संख्या 1343 मि. रकवा 0.012 हे. व गाटा संख्या 1344 मि. रकवा 0.005 हे. यानी कुल चार किता क्षेत्रफल 0.030 हे. के 1/3 भाग का हिस्सेदार बूंदी सिंह द्वारा स्वंय को किस आधार पर घोषित किया गया है के संबंध में कोई स्पष्ट कथन उक्त बैनामा दिनांकित 29.8.2000 में नहीं किया गया है।

वादीगण द्वारा अपने वादपत्र में कथन किया गया है कि बूंदी सिंह आपसी पारिवारिक बँटवारे के आधार पर 1341 मि. रकवा 0.008 हे. व गाटा संख्या 1342 मि. रकवा 0.005 हे. व गाटा संख्या 1343 मि. रकवा 0.012 हे. व गाटा संख्या 1344 मि. रकवा 0.005 हे. यानी कुल चार किता क्षेत्रफल 0.030 हे. के 1/3 भाग भाग पर मालिक हुये परन्तु बैनामा दिनांक 29.8.2000 में पारिवारिक बँटवारे के संबंध में कोई कथन अंकित नहीं किया गया है। अतः बैनामे से यह स्पष्ट नहीं होता है कि बूँदी सिंह किस प्रकार बैनामे दिनांक 29.8.2000 में अंकित भूमि के 1/3 भाग के मालिक हुये।

इसी प्रकार बैनामा दिनांकित 12.02.2002 कागज संख्या 37 क के अवलोकन से यह

विदित होता है कि विक्रेता कुवरपाल पुत्र कुंदन सिंह द्वारा स्वंय को गाटा संख्या 1341 मि. रकवा 0.008 हे. व गाटा संख्या 1342 मि. रकवा 0.005 हे. व गाटा संख्या 1343 मि. रकवा 0.012 हे. व गाटा संख्या 1344 मि. रकवा 0.005 हे. यानी कुल रकवा 0.030 हे. का 1/3 भाग का मालिक व काबिज कथित किया है। बैनामा दिनांकित 12.02.2002 में भूमि गाटा संख्या 1341 मि. रकवा 0.008 हे. व गाटा संख्या 1342 मि. रकवा 0.005 हे. व गाटा संख्या 1343 मि. रकवा 0.012 हे. व गाटा संख्या 1344 मि. रकवा 0.005 हे. यानी कुल रकवा 0.030 हे. का 1/3 भाग का हिस्सेदार स्वंय को किस आधार पर घोषित किया गया है के संबंध में कोई स्पष्ट कथन उक्त बैनामा दिनांकित 12.02.2002 में नहीं किया गया है।

वादीगण द्वारा अपने वादपत्र में कथन किया गया है कि कुंवरपाल आपसी पारिवारिक बँटवारे के आधार पर गाटा संख्या 1341 मि. रकवा 0.008 हे. व गाटा संख्या 1342 मि. रकवा 0.005 हे. व गाटा संख्या 1343 मि. रकवा 0.012 हे. व गाटा संख्या 1344 मि. रकवा 0.005 हे. यानी कुल रकवा 0.030 हे. का 1/3 भाग पर मालिक हुये परन्तु बैनामा दिनांक 12.02.2002 में पारिवारिक बँटवारे के संबंध में कोई कथन अंकित नहीं किया गया है। अतः बैनामा दिनांकित 12.02.2002 कागज संख्या 37 क से यह स्पष्ट नहीं होता है कि कुंवरपाल पुत्र कुन्दन सिंह किस प्रकार बैनामे दिनांक 12.02.2002 में अंकित भूमि के 1/3 भाग के मालिक हुये।

खतौनी कागज संख्या 9 ग के अवलोकन से इस तथ्य की भी पुष्टि होती है कि भूमिधरी गाटा संख्या 1341 मि. रकवा 0.008 हे. व गाटा संख्या 1342 मि. रकवा 0.005 हे. व गाटा संख्या 1343 मि. रकवा 0.012 हे. व गाटा संख्या 1344 मि. रकवा 0.005 हे. व गाटा संख्या 1341 मि. रकवा 0.015 हे. व गाटा संख्या 1342 मि. रकवा 0.007 हे. व गाटा संख्या 1343 मि. रकवा 0.25 हे. व गाटा संख्या 1344 मि. रकवा 0.007 हे. पर राजस्व शुल्क देय है। उक्त भूमिधरी के संबंध में राजस्व न्यायालय द्वारा धारा 143UPZA&LR Act 1950 के संबंध में कोई आदेश पारित किया गया हो ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है। अतः स्पष्ट है कि उपरोक्त भूमिधरी कृषि भूमि है तथा उसके आबादी घोषित किये जाने का कोई आदेश राजस्व न्यायालय द्वारा पारित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त भूमि, कृषि भूमि ही समझी जायेगी।

1. Kehar Singh Vs State of UP 2011 (112) RD 357 Para (20)

2. Alauddin alias Makki Vs Hamid Khan 1971 RD में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने अभिनिर्धारित किया है कि जब तक कृषि भूमि को धारा 143UPZA&LR Act 1950 के अन्तर्गत आबादी घोषित नहीं किया जाता है तब तक भूमि को कृषि भूमि ही माना जायेगा तथा वह भूमि 143UPZA&LR Act 1950 के प्रावधान से बाधित रहेगी। अतः प्रस्तुत प्रकरण में बैनामा दिनांकित 29.8.2000 व 12.02.2002 में अंकित संपत्ति कृषि भूमि ही मानी जायेगी।

बैनामा दिनांकित 29.8.2000 कागज संख्या 38 क व बैनामा दिनांकित 12.02.2002 कागज संख्या 37 क के अवलोकन से यह विदित होता है कि उपरोक्त बैनामों में भूमि गाटा संख्या 1341 मि. रकवा 0.008 हे. व गाटा संख्या 1342 मि. रकवा 0.005 हे. व गाटा संख्या 1343 मि. रकवा 0.012 हे. व गाटा संख्या 1344 मि. रकवा 0.005 हे. यानी कुल रकवा 0.030 हे. को उक्त बैनामों के माध्यम से आबादी के रूप में विक्रय करने का आशय अभिप्रेत है। यदि तर्क के लिये यह मान

भी लिया जाये कि उक्त भूमि को आबादी के रूप में विक्रय किये जाने का आशय है तो उक्त भूमि/संपत्ति का सीमांकन तथा लम्बाई व चौडाई उक्त बैनामों दिनांकित 29.8.2000 व 12.02.2002 क्रमशः कागज संख्या 38क, 37क में क्यों अंकित नहीं किया गया है, के संबंध में कोई समुचित साक्ष्य वादीगण द्वारा पत्रावली पर दाखिल नहीं किया गया है। उक्त बैनामे दिनांकित 29.8.2000 व 12.02.2002 के माध्यम से किस भूमि को विक्रय किया गया है इस संबंध में कोई भी निष्कर्ष न्यायालय द्वारा लिया जाना संभव नहीं है क्योंकि विक्रय की जाने वाली संपत्ति का ना तो सीमांकन तथा ना ही लंबाई चौडाई का ज्ञान उक्त बैनामों के अवलोकन से होता है। वादीगण द्वारा वादपत्र में बैनामा दिनांकित 29.8.2000 व 12.02.2002 के माध्यम से क्रय की गयी संपत्ति को नक्शा नजरी वादपत्र में अक्षर अ,ब,स,द से लाल रंग से प्रदर्शित किया गया है परन्तु बैनामा दिनांकित 29.8.2000 व 12.02.2002 में अंकित संपत्ति के सीमांकन तथा लंबाई, चौडाई के विवरण के अभाव में इस प्रश्न का उत्तर निष्कर्ष रूप से नहीं दिया जा सकता है कि क्या नक्शा नजरी वादपत्र में अक्षर अ,ब,स,द से लाल रंग में प्रदर्शित भूमि वही भूमि है जिसे वादीगण के मूरिस सुनहरीलाल ने बैनामों दिनांकित 29.8.2000 व 12.02.2002 के माध्यम से क्रय किया था। वादीगण के अधिवक्ता का यह तर्क कि प्रतिवादीगण द्वारा कभी बैनामा दिनांकित 29.8.2000 व 12.02.2002 को किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गयी है व उक्त बैनामे किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किये गये हैं तथा आज भी प्रभावी हैं, प्रश्नगत बैनामों दिनांकित 29.8.2000 व 12.02.2002 की विषय वस्तु को वैधानिकता प्रदान नहीं करता है।

इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि यदि बैनामों में सीमांकन व लम्बाई, चौडाई का विवरण नहीं दिया गया है तो यह भी आशय अभिप्रेत हो सकता है कि विक्रय की जाने वाली संपत्ति संयुक्त संपत्ति हो परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा अपने प्रतिवादपत्र में भूमि गाटा संख्या 1341 मि. रकवा 0.008 हे. व गाटा संख्या 1342 मि. रकवा 0.005 हे. व गाटा संख्या 1343 मि. रकवा 0.012 हे. व गाटा संख्या 1344 मि. रकवा 0.005 हे. यानी कुल चार किता क्षेत्रफल 0.030 हे. का आपसी पारिवारिक बंटवारा होना स्वीकार किया है तथा कथन किया है कि खसरा संख्या 1341 व 1342 एकल रूप से प्रतिवादीगण के हिस्से में आये थे। पी.डब्लू.01 राजपाल द्वारा अपनी जिरह दिनांकित 04.06.2010 में कथन किया है कि ***"1341, 1342, 1343 व 1344 का इनके सहभागीदारों में उस बंटवारे के अनुसार ही अपने-अपने मकान बनाये हैं और काबिज हैं। ये बंटवारा मेरे होश से पहले बुजुर्गों में हो गया था और पुराने जमाने से ही इन चारों नम्बरों में अलग-अलग मकान पुराने जमाने से बने चले आ रहे हैं। 1341 एवं 1342 राधेश्याम और कुंवरपाल के पूर्वजों के हिस्से में आये थे उसी आधार पर राधेश्याम और कुंवरपाल के पूर्वजों ने अपने-अपने मकान बनाये थे। बूंदी के पिता का नाम होती था। 1343 व 1344 बूंदी के पूर्वजों के हिस्से में नहीं आये थे। ये दोनों नम्बर मेरे पूर्वजों के हिस्से में आये थे। "***

वादीगण द्वारा वादपत्र में बैनामा दिनांकित 29.8.2000 में विक्रेता बूंदी सिंह पुत्र होती को गाटा संख्या 1341 मि. रकवा 0.008 हे. व गाटा संख्या 1342 मि. रकवा 0.005 हे. व गाटा संख्या 1343 मि. रकवा 0.012 हे. व गाटा संख्या 1344 मि. रकवा 0.005 हे. यानी कुल चार किता क्षेत्रफल 0.030 हे. का 1/3 भाग का हिस्सेदार व बैनामा दिनांकित 12.02.2000 के विक्रेता

कुंवरपाल पुत्र कुन्दन सिंह को गाटा संख्या 1341 मि. रकवा 0.008 हे. व गाटा संख्या 1342 मि. रकवा 0.005 हे. व गाटा संख्या 1343 मि. रकवा 0.012 हे. व गाटा संख्या 1344 मि. रकवा 0.005 हे. यानी कुल चार किता क्षेत्रफल 0.030 हे. के 1/3 भाग का हिस्सेदार पारिवारिक बंटवारे के आधार पर कथित किया है। अतः स्पष्ट है कि पी.डब्लू.01 राजपाल द्वारा अपनी जिरह में वादपत्र के कथनों के विपरीत बयान दिया है क्योंकि जिरह में किये गये कथन के अनुसार यदि पारिवारिक बंटवारे के आधार पर खसरा संख्या 1341 व 1342 एकल रूप से राधेश्याम व कुंवरपाल जोकि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादीगण हैं के हिस्से में आये थे तथा खसरा संख्या 1343 व 1344 वादीगण के पूर्वजों के हिस्से में आये थे तो बूंदी सिंह पुत्र होती व कुंवरपाल पुत्र कुन्दन सिंह विक्रेतागण क्रमशः बैनामा दिनांकित 29.8.2000 व 12.02.2002 किस प्रकार गाटा संख्या 1341 मि. रकवा 0.008 हे. व गाटा संख्या 1342 मि. रकवा 0.005 हे. व गाटा संख्या 1343 मि. रकवा 0.012 हे. व गाटा संख्या 1344 मि. रकवा 0.005 हे. यानी कुल चार किता क्षेत्रफल 0.030 हे. के 1/3 भाग के मालिक व काबिज पारिवारिक बंटवारे के आधार पर हो गये, इस संबंध में वादीगण द्वारा कोई समुचित साक्ष्य पत्रावली पर दाखिल नहीं किया गया है।

वादी द्वारा वादपत्र के पैरा 4 में कथन किया गया है कि मृतक वादी सुनहरीलाल का मकान गाटा संख्या 1341 मि. रकवा 0.015 हे. व गाटा संख्या 1342 मि. रकवा 0.007 हे. व गाटा संख्या 1343 मि. रकवा 0.25 हे. व गाटा संख्या 1344 मि. रकवा 0.007 हे. यानी कुल चार किता रकवा 0.054 हे. में 1/4 भाग का जो नक्शा वादपत्र के साथ अक्षर ब,क,ख,ग से प्रदर्शित किया है में बना हुआ है जिसका वादी पारिवारिक बंटवारे के आधार पर मालिक,काबिज व दखील है। पी.डब्लू.01 द्वारा अपनी जिरह में स्पष्ट कथन किया है कि पारिवारिक बंटवारे के आधार पर प्रतिवादीगण राधेश्याम व कुंवरपाल को खसरा संख्या 1341 व 1342 तथा वादी के पूर्वजों को 1343 व 1344 प्राप्त हुई थी। संपत्ति जिसे नक्शा नजरी वादपत्र में अक्षर क,प,त,थ से लाल रंग में प्रदर्शित किया गया है उपरोक्त भूमी ब,क,ख,ग का भाग है। वादी द्वारा वादपत्र में उक्त संपत्ति को दादलाई संपत्ति कथित किया गया है। वादी द्वारा नक्शा नजरी वादपत्र में संपत्ति क,प,त,थ को खसरा संख्या 1343 में प्रदर्शित किया गया है जबकि वादपत्र के कथनों के अनुसार उक्त दादलाई संपत्ति गाटा संख्या 1341 मि. रकवा 0.015 हे. व गाटा संख्या 1342 मि. रकवा 0.007 हे. व गाटा संख्या 1343 मि. रकवा 0.25 हे. व गाटा संख्या 1344 मि. रकवा 0.007 हे. यानी कुल चार किता रकवा 0.054 हे. के 1/4 भाग का भाग है। प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण यह सिद्ध नहीं कर पाये हैं कि उक्त दादलाई संपत्ति जोकि खसरा संख्या 1341 मि., 1342 मि., 1343 मि. व 1344 मि. की है, को नक्शा नजरी वादपत्र में केवल खसरा संख्या 1343 में क्यों प्रदर्शित किया गया है।

इसके अतिरिक्त पी.डब्लू.01 ने अपनी जिरह में कथन किया है कि ***"बूंदी सिंह के पुरखों के हिस्से में जो संपत्ति आयी थी उसके पूरब में चकरौड, पश्चिम में कुंवरपाल का मकान है। उत्तर में मेरा मकान है। दक्षिण में नारायण सिंह का मकान है।"***

पी.डब्लू.01 राजपाल द्वारा जो सीमायें अपनी जिरह में बतायी गयी हैं वे नक्शा नजरी वादपत्र से मेल नहीं खाती हैं। इसके अतिरिक्त नक्शा नजरी वादपत्र व अधिवक्ता कमीश्नर द्वारा विवादित स्थल का तैयार किया गया नक्शा नजरी कागज संख्या 57ग भी आपस में मेल नहीं खाते हैं। नक्शा नजरी

वादपत्र में विवादित भूमि अ,ब,स,द के पश्चिम में दयाराम, राधेश्याम व कुंवरपाल की संपत्ति प्रदर्शित की गयी है तथा इन संपत्तियों के पश्चिम में चकरौड प्रदर्शित की गयी है। दक्षिण में किसकी संपत्ति है यह प्रदर्शित नहीं किया गया है ना ही पूरब में किसकी संपत्ति है यह प्रदर्शित किया गया है। नक्शा नजरी अधिवक्ता कमिश्नर कागज संख्या 57 ग में विवादित भूमि अ,ब,स,द के पश्चिम में केवल कुंवरपाल की संपत्ति प्रदर्शित की गई है जिसके पश्चिम में खडंजा आम रास्ता प्रदर्शित है। पूरब में रास्ता कच्चा चकरौड प्रदर्शित है। दक्षिण में नरायन सिंह की संपत्ति प्रदर्शित है।

इसी तरह संपत्ति क,प,त,थ की सीमायें भी नक्शा नजरी वादपत्र व अधिवक्ता कमिश्नर नक्शा नजरी कागज संख्या 57 ग भी मेल नहीं खाती है क्योंकि नक्शा नजरी वादपत्र व अधिवक्ता कमिश्नर नक्शा नजरी कागज संख्या 57 ग भी मेल नहीं खाते हैं क्योंकि नक्शा नजरी वादपत्र में पश्चिम में चकरोड प्रदर्शित है जबकि नक्शा नजरी कागज संख्या 57 ग में पश्चिम में खडंजा आम रास्ता अंकित है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में विवादित संपत्ति अ,ब,स,द तथा क,प,त,थ की पहचान सुनिश्चित किया जाना संभव नहीं है।

उक्त के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था Subhaga and Others Vs Shobha and Others in Appeal(Civil) 2836 of 2006 उल्लेखनीय है। इस विधि व्यवस्था में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि ***"That a Property can be identified either by boundary or any other specific description is well established. Here the attempt had been to identify the suit property with reference to such boundaries. Even if there was any discrepancy, normally the boundaries should prevail."***

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपनी उपरोक्त विधि व्यवस्था में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि विवादित संपत्ति की पहचान सीमांकन या अन्य विवरण से की जा सकती है। यदि कमिश्नर द्वारा तैयार नक्शा नजरी में सीमांकन में कुछ विरोधाभास है तो भी सीमांकन के माध्यम से ही संपत्ति की पहचान सुनिश्चित की जायेगी। जबकि प्रस्तुत प्रकरण में समस्त विवेचना व विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि वादीगण विवादित संपत्ति का सीमांकन स्पष्ट रूप से सिद्ध करने में पूर्णतः असफल रहे हैं।

उपरोक्त समस्त विवेचना से यह निष्कर्ष निकलता है कि वादीगण यह सिद्ध करने में असफल रहे हैं कि वादी वादपत्र के साथ संलग्न मानचित्र में अक्षर अ,ब,स,द तथा क,प,त,थ से दर्शित भाग के स्वामी, काबिज व दखील है। अतः वाद बिन्दु संख्या 1 नकारात्मक रूप से वादीगण के विरुद्ध निस्तारित किया जाता है।

निस्तारण वाद बिन्दु सं0 2

वाद बिन्दु संख्या 2 इस आशय से विरचित किया गया है कि क्या वाद धारा 331 उ.प्र. जमींदारी उन्मूलन अधिनियम से बाधित है?

यह वाद बिन्दु प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर विरचित किया गया था अतः इसे सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर है।

वादी द्वारा दाखिल खतौनी कागज संख्या 9 ग के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा संख्या 1341 मि., 1342 मि., 1343 मि. व 1344 मि. के श्रेणी 1(क) के संक्रमणीय भूमिधर सहखातेदार के रूप में सुनहरीलाल का नाम दर्ज है। प्रस्तुत प्रकरण में स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष याचित किया गया है ऐसी स्थिति में वाद धारा 331 उ.प्र. जमींदारी उन्मूलन अधिनियम से बाधित नहीं है क्योंकि यदि वादी का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है तो ऐसी स्थिति में सिविल न्यायालय की कृषि भूमि के संदर्भ में स्थायी निषेधाज्ञा के बाद की सुनवाई की क्षेत्राधिकारिता 331 उ.प्र. जमींदारी उन्मूलन अधिनियम से बाधित नहीं है। ऐसा ही मत Kamla Shankar Vs 3rd ADJ Mirzapur 1995(89) RD 484(All) व Maganlal Chaturvedi Vs District Judge Mathura 1998 ALJ 2323(All) में प्रकट किया गया है। अतः यह वाद बिन्दु नकारात्मक रूप से प्रतिवादी के विरुद्ध निस्तारित किया जाता है।

निस्तारण वाद बिन्दु सं0 3

वाद बिन्दु संख्या 3 इस आशय से विरचित किया गया है कि क्या उपरोक्त वाद में मौन सहमति के सिद्धान्त से बाधित है?

यह वाद बिन्दु प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर विरचित किया गया था अतः इसे सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर है।

प्रतिवादीगण द्वारा प्रतिवाद पत्र में कथन किया गया है कि वाद संख्या 464/1988 श्री दयाराम एवं अन्य बनाम श्री राधेश्याम एवं अन्य मूंसिफ हवाली न्यायालय, अलीगढ में प्रस्तुत वाद की ही विवादित संपत्ति के संबंध में योजित किया गया था। उक्त वाद में प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी संख्या 1 व 2 उक्त वाद 464/1988 में भी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 थे तथा बैनामे दिनांकित 29.8.2000 व 12.02.2002 के विक्रेता उक्त वाद 464/1988 के प्रतिवादी संख्या 3 व 4 थे। उक्त वाद में पक्षकारों द्वारा जो अभिवचन किये गये थे उनसे पक्षकार इस वाद में भी बाधित हैं। मौन सहमति के सिद्धान्त के अनुरूप पक्षकार अपने पूर्व में किये गये अभिवचनों के विपरीत कोई अभिवचन नहीं कर सकते हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रतिवादीगण द्वारा वाद संख्या 464/1988 से संबंधित कोई भी प्रपत्र पत्रावली पर दाखिल नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में यह जान पाना असंभव है कि पक्षकारों द्वारा उक्त वाद में क्या कथन किये गये थे। इसके अतिरिक्त वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दौरान बहस दिया गया था कि उक्त वाद गुणदोष के आधार पर निर्धारित नहीं हुआ था बल्कि अनुपस्थिति में खारिज हुआ था। हालांकि प्रस्तुत प्रकरण में उक्त वाद 464/1988 से संबंधित कोई भी प्रपत्र पत्रावली पर दाखिल नहीं है। इसलिये इस संबंध में न्यायालय द्वारा कोई भी मत प्रकट करना असंभव है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत वाद मौन सहमति के सिद्धान्त से बाधित नहीं कहा जा सकता। अतः वाद बिन्दु संख्या 3 नकारात्मक रूप से प्रतिवादीगण के विरुद्ध निस्तारित किया जाता है।

निस्तारण वाद बिन्दु सं0 4

वाद बिन्दु संख्या 4 इस आशय से विरचित किया गया है कि क्या वाद आदेश 9 नियम 9 सी.पी.सी. से बाधित है?

यह वाद बिन्दु प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर विरचित किया गया था अतः इसे सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर है।

प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौरान बहस यह तर्क दिया गया कि समान विषयवस्तु व समान वाद कारण के आधार पर पूर्व में एक वाद 464/1988 न्यायालय मूंसिफ हवाली अलीगढ में योजित में किया था जोकि उभयपक्ष के उपस्थिति में खारिज हो गया था। अतः प्रस्तुत वाद आदेश 9 नियम 9 से बाधित है। यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रतिवादीगण द्वारा वाद संख्या 464/1988 से संबंधित कोई भी प्रपत्र पत्रावली पर दाखिल नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में यह जान पाना असंभव है कि पक्षकारों द्वारा उक्त वाद में क्या कथन किये गये थे तथा यह वाद किन परिस्थितियों में खारिज किया गया था। ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रस्तुत वाद आदेश 9 नियम 9 से बाधित है।

अतः वाद बिन्दु संख्या 4 नकारात्मक रूप से प्रतिवादीगण के विरुद्ध निस्तारित किया जाता है।

निस्तारण वाद बिन्दु सं0 5

वाद बिन्दु संख्या 5 इस आशय से विरचित किया गया है कि क्या वाद धारा 34, 38 व 41 विशिष्ट अनुतोष अधिनियम से बाधित है?

यह वाद बिन्दु प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर विरचित किया गया था अतः इसे सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर है।

प्रस्तुत प्रकरण में यह स्पष्ट है कि वादी का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। ऐसी परिस्थिति में वादी को विवादित संपत्ति के संबंध में अपने स्वामित्व की घोषणा हेतु अनुतोष याचित करने की आवश्यकता नहीं है। अतः प्रस्तुत वाद धारा 34 विशिष्ट अनुतोष अधिनियम से बाधित नहीं कहा जा सकता है। प्रस्तुत वाद धारा 38 व 41 विशिष्ट अनुतोष अधिनियम से किस प्रकार बाधित है इसके संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य या तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः वाद बिन्दु संख्या 5 नकारात्मक रूप से प्रतिवादीगण के विरुद्ध निस्तारित किया जाता है।

निस्तारण वाद बिन्दु सं0 6

वाद बिन्दु संख्या 6 इस आशय से विरचित किया गया है कि अन्य अनुतोष?

यह वाद बिन्दु अनुतोष के संबंध में विरचित किया गया है।

यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि याचित अनुतोष प्राप्त करने हेतु वादी को अपना वाद स्वंय सिद्ध करना होता है। वाद बिन्दु संख्या 1 के निस्तारण से यह स्पष्ट होता है कि वादी विवादित संपत्ति की पहचान सुनिश्चित कर पाने में असफल रहे हैं। ऐसी संपत्ति जिसकी पहचान की जानी असंभव हो के संबंध में स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री पारित नहीं की जा सकती है क्योंकि ऐसी डिक्री जिसका निष्पादन संभव न हो पारित नहीं की जा सकती है। अतः वादीगण कोई भी अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। वाद बिन्दु संख्या 6 नकारात्मक रूप से वादी के विरुद्ध निस्तारित किया जाता है।

सिविल जज(व.प्र.)/एफ.टी.सी., हाथरस
उपस्थित– प्रतिभा....... उ. प्र. न्यायिक सेवा
मूलवाद संख्या 139/2002

आदेश

दावा वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण निरस्त किया जाता है।
उभयपक्ष अपना–अपना वाद व्यय स्वंय वहन करेंगे।

(प्रतिभा)
दिनांक 14.11.2022 सिविल जज (व.प्र.)
/एफ.टी.सी., हाथरस
जे.ओ.कोड यू.पी. 2317

यह निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांकित व हस्ताक्षरित करके सुनाया गया।

(प्रतिभा)
दिनांक 14.11.2022 सिविल जज (व.प्र.)
/एफ.टी.सी., हाथरस
जे.ओ.कोड यू.पी. 2317

सिविल जज(व.प्र.)/एफ.टी.सी., हाथरस

उपस्थित– प्रतिभा....... उ. प्र. न्यायिक सेवा

मूलवाद संख्या 139/2002